राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

एफ.4(1)( )पोषा/S.H.G./मबावि/2007/ 4124-4155 जयपुर, दिनांक 20.1.2010

उप निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त। (बांसवाड़ा छोड़कर)

विषय :- आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चो को नाश्ता एवं अतिरिक्त पूरक पोषाहार स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की योजना के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- समसंख्यक विभागीय आदेश कमांक 10513-45 दि. 19.02.08, 27548-58 दि. 03.05.08, 53777-808 दि. 08.09.08, 10079-10110 दि. 13.02.09, 65394-704 दि. 29.09.09 एवं 288-319 दि. 01.01.10

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चो को नाश्ता एवं अतिरिक्त पूरक पोषाहार स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की योजनान्तर्गत तीन चरणों में 98 बाल विकास परियोजनाओं में विस्तार कर दिया गया है एवं चतुर्थ चरण में 62 बाल विकास परियोजनाओं में इसका विस्तार दिनांक 21.01.2010 से 20.02.2010 तक करने के निर्देश दिनांक 01.01.2010 को जारी किये जा चुके हैं।

योजना के कियान्वयन में आ रही बाधाओं अथवा योजना प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारणों, सक्षम स्वयं सहायता समूहों का चयन नहीं होने अथवा अन्य युक्ति-युक्त कारणों से पूरक पोषाहार का वितरण नहीं करवाया जा रहा है तो ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए पूरक पोषाहार की मात्रा का आंकलन कर आवंटन हेतु अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) के दूरभाष न0-0141-2700246 या फैक्स न0-141-2700281 पर पोषाहार की मांग तत्काल प्रस्तुत करें ताकि केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पूरक पोषाहार का आवंटन किया जा सके।

योजनान्तर्गत सभी चरणों में चयनित बाल विकास परियोजनाओं में योजना की कियान्विति की अब तक की स्थिति/ उपलब्धि से निदेशालय को निम्नांकित प्रारूप में मय अपनी टिप्पणी के तत्काल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

परियोजना का नाम .... चयन का चरण ....

क्र. सं.	सैक्टर का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या					
		कुल संख्या	समूहो को प्रशिक्षण	MOU निष्पादित	निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पोषाहार के पूर्ण उपयोग की तिथि	केन्द्रों की संख्या जहां पोषाहार SHG से प्राप्त किया जा रहा है।	केन्द्रों की संख्या जहां पोषाहार SHG से प्राप्त नही किया जा रहा है।

(हस्ताक्षर)